प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 655 / 528 / 2018 / 17 / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 8/3/2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) 09 MAR 2018 आवक क्र. 3657

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र. भोपाल।

विषयः–चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करने की गणना में तदर्थ सेवा अवधि को सम्मिलित करने बावत्।

––00––

विषयांतर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन के संदर्भ में वित्त विभाग से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार हैः–

"वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.11.2009 के बिन्दु क. 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार तदर्थ रूप से की गई सेवा को समयमान वेतनमान हेतु गणना में नहीं लिया जाना है।"

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त अभिमत अनुसार चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 656 / 528 / 2018 / 17 / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 8/3/2018

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017—अग्रहायण 3, शक 1939

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ. 01-01/2017/सत्रह/मेडि-1 ::. भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-

<u>नियम</u>

1/- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तदर्थ/आपात नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम-2017 है।

(2) यह नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2/- अध्यारोही प्रभाव-यह नियम विषय में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरित बात के होते हुये भी प्रभावी होगें।

3/- परिभाषाए- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' -से अभिप्रेत है ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी।

(ख) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची।

4/- लागू होनाः- यह नियम अनुसूची में वर्णित पदों पर वर्ष 1997 से पूर्व की गई तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण नियम के लिये लागू होगे।

5/- नियमितिकरण के लिये पात्रताः- ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित पद पर तथा विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त किया गया है नियमितिकरण के लिये पात्र होगा यदि-

उसके संबंध में 31 दिसंबर 1997 तक नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके थे, किन्तु जो अपेक्षित अर्हता न रखने के कारण या किसी अन्य कारण से नियमित नहीं किये जा सके थे।

6/- (1) वह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण) दिनांक 30 अप्रैल 1988 में प्रकाशित किये गए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988 के अनुसार सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता अर्जित कर चुका हो।

(2) विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त वही व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्र होगे जो 31 दिसंबर 1997 के पूर्व से नियुक्त होकर वर्तमान में निरंतर सेवा में हैं/सेवारत रहे हैं।

7/- चयन सूचीः-

(1) अनुसूची में वर्णित पदों पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों के मामलों की छानबीन करने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधो के अनुसार चयन सूची तैयार की जायेगी-

(2) मामलों की छानबीन करते समय संबंधित व्यक्ति की सामान्य उपयुक्तता का निर्धारण उनके गोपनीय रिकार्ड यदि कोई हो और उनके आचरण के आधार पर किया जायेगा।

(3) नियम 5 एवं 6 में वर्णित अर्हता अर्जित किये जाने के आधार पर चयन सूची के नाम सम्मिलित किये जायेगे।

8/- ज्येष्ठताः-

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया चिकित्सक तदर्थ नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम प्रभावशील होने के दिनांक 05 जुन 1986 अथवा तदर्थ/आपात रूप से नियुक्ति उपरांत उपस्थिति की तिथि से ज्येष्ठता का हकदार होगा। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार पूर्व से नियुक्त किये गए व्यक्तियों को नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि विभिन्न आदेशों द्वारा नियुक्त दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथी को अपेक्षित अर्हता प्राप्त करते है तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण विखण्डित अवधि को छोड़कर उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर किया जावेगा।

(3) यदि एक ही आदेश द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथी से नियमित किये जाते है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण तदर्थ/आपात नियुक्ति के आदेश में वर्णित क्रम में किया जावेगा।

9/- नियुक्तियों का क्रमः- नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में से नियमित नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम छानबीन समिति द्वारा सूची में आये हो।

10/- आरक्षणः-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के उपबंधो का तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों/नियमों का इन नियमों के अधीन नियमितिकरण करते समय पालन किया जायेगा।

11/- नियमितिकरण भर्ती नियमों के अधीन नियुक्ति मानी जायेगीः-छानबीन उपरांत तैयार की गई सूची को तथा ऐसी चयन सूची से किये गए नियमितिकरण को सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन तैयार की गई चयन सूची तथा की गई नियुक्तियॉ माना जायेगा।

12/- छूटः- इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिस पर यह नियम लागू होते है, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को न्यायसंगत तथा समस्यापूर्ण प्रतीत होती है।

13/- यह नियम तदर्थ एवं आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों को नियमितिकरण की कार्यवाही हेतु केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकेगा। उसके पश्चात यह नियम प्रभावहीन हो जाएंगे।

अनुसूची
(नियम 4 देखिए)

वह पद जिन पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त व्यक्तियों को नियमित किया जा सकेगा :-

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.